समाहरणालय मधेपुरा

(आई. टी. शाखा)

पत्रांक....................../ दिनांक...........................।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

प्रेषित,

जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी,
मधेपुरा।

विषय :– आर० टी०. पी० एस० के क्रियान्वयन से संबंधित फ्लैक्स बोर्ड लगवाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत् तत्काल सेवा लागु करने एवं कतिपय अधिसूचित सेवाओं के नियत सीमा को कम करने से संबंधित जिले के विभिन्न आर० टी० पी० एस० कार्यालयों में आम लोगों की जानकारी एवं प्रचार – प्रसार हेतु फ्लैक्स बोर्ड लगवाया जाना है।

तत्काल सेवा तथा अधिसूचित सेवाओं के नियत समय सीमा कम करन से संबंधित फ्लैक्स बोर्ड जिले के सभी प्रखंड –सह– अंचल कार्यालयों में लगाया जाना है।

अतः निदेश दिया जाता है कि दिनांक 30.01.2014 से पूर्व उपरोक्त सभी कार्यालय में दिवाल लेखन का कार्य पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी को संसूचित करें।

अनुलग्नक :– 1. तत्काल सेवा से संबंधित प्रपत्र,
2. नियत समय सीमा कम किये गये सेवाओं से संबंधित प्रपत्र।

विश्वाभाजन
ह०/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 06 / दिनांक 25/01/14 ।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी सूचना प्रोद्योगिकी सहायक (आर०टी०पी०एस०), मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि अपने पर्यवेक्षण में उचित स्थल पर फ्लैक्स बोर्ड लगवाने का कार्य संपन्न करावेंगे।

25/01/14
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

(i) गृह विभाग :-

सेवा का नाम	नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	पूर्व निर्धारित समय सीमा	संशोधित समय सीमा
1 पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्राप्त चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन (पासपोर्ट, नौकरी इत्यादि) के आवेदनों का निस्तार	डी.एस.पी. (मु.) या संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत कोई डी.एस.पी.	28 कार्यदिवस	14 कार्यदिवस

(ii) परिवहन विभाग :-

सेवा का नाम	नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	पूर्व निर्धारित समय सीमा	संशोधित समय सीमा
1. लर्नर अनुज्ञप्ति का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	7 कार्यदिवस
3. चालक अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	7 कार्यदिवस
5. अन्तर्राष्ट्रीय चालक अनुज्ञप्ति का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	30 कार्यदिवस	15 कार्यदिवस
6. वाहनों का अस्थायी निबंधन	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	7 कार्यदिवस
8. निबंधन प्रमाण-पत्र की द्वितीयक प्रति का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	7 कार्यदिवस
12. कर प्रतीक का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	7 कार्यदिवस	1 कार्यदिवस
14. पेट्रोल पम्प अनुज्ञप्ति का नवीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	30 कार्यदिवस	15 कार्यदिवस
17. दुरूस्ती प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति का निर्गमन	मोटर यान निरीक्षक	10 कार्यदिवस	7 कार्यदिवस

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग :-

क0	सेवा का नाम		नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	पूर्व निर्धारित समय सीमा	संशोधित समय सीमा
1.	जाति प्रमाण -पत्र निर्गत करना	(i) अंचलाधिकारी स्तर पर	अंचलाधिकारी	14 कार्यदिवस	10 कार्यदिवस
		(ii) अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर	(क) अनुमंडल पदाधिकारी या	14 कार्यदिवस	10 कार्यदिवस
			(ख) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	14 कार्यदिवस	10 कार्यदिवस
		3. जिला पदाधिकारी स्तर पर	जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	14 कार्यदिवस	10 कार्यदिवस
2.	आवासीय प्रमाण-पत्र निर्गत करना	(i) अंचलाधिकारी स्तर पर	अंचलाधिकारी	14 कार्यदिवस	10 कार्यदिवस
		(ii) अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर	(क) अनुमंडल पदाधिकारी या	14 कार्यदिवस	10 कार्यदिवस
			(ख) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	14 कार्यदिवस	10 कार्यदिवस
		3. जिला पदाधिकारी स्तर पर	जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	14 कार्यदिवस	10 कार्यदिवस
3.	आय प्रमाण-पत्र निर्गत करना	(i) अंचलाधिकारी स्तर पर	अंचलाधिकारी	14 कार्यदिवस	10 कार्यदिवस
		(ii) अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर	(क) अनुमंडल पदाधिकारी या	14 कार्यदिवस	10 कार्यदिवस
			(ख) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	14 कार्यदिवस	10 कार्यदिवस
		3. जिला पदाधिकारी स्तर पर	जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	14 कार्यदिवस	10 कार्यदिवस

क0	सेवा का नाम	नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	पूर्व निर्धारित समय सीमा	संशोधित समय सीमा
1.	स्थानिक आयुक्त, बिहार, नई दिल्ली कार्यालय से जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण-पत्रों को प्राप्त करना।	स्थानिक आयुक्त-सह-सम्पर्क अधिकारी	28 कार्यदिवस	16 कार्यदिवस

तत्काल सेवा

क्र०	सेवा का नाम		नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा	अपीलीय प्राधिकार	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु सीमा	पुनर्विलोकन प्राधिकार	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु समय–सीमा
1.	'तत्काल सेवा' के अधीन जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण–पत्र निर्गत करना	अंचलाधिकारी स्तर पर	अंचलाधिकारी	02 कार्यदिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्यदिवस

नोटः– 'तत्काल सेवा' उपलब्ध कराने हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

01. आवेदकों के पहचान हेतु समुह ''क'' में वर्णित कागजातों की सूचि में से कोई एक एवं सेवा प्राप्ति हेतु समुह ''ख'' में वर्णित कागजातों में से कोई एक आवश्यक रूप से विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

02. यदि आवेदक के पास समूह 'क' एवं 'ख' से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं हो तो वैकल्पिक स्थिति में स्थानीय हल्का कर्मचारी/ पंचायत सेवक द्वारा विहित प्रपत्र मे निर्गत जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने पर उक्त तीनों प्रमाण–पत्र 'तत्काल सेवा' के तहत उपलब्ध कराया जाएगा।

03. आवेदन के साथ संलग्न वांछित कागजातों के प्रारंभिक सत्यापन के पश्चात् प्रमाण पत्र नियत समय–सीमा **(02 कार्य दिवस)** के अधीन निर्गत कर दिया जाएगा, परन्तु उक्त आवेदन की जांच इन सेवाओं को सामान्य रूप से निर्गत करने हेतु निर्धारित समय–सीमा **(10 कार्य दिवस)** के अन्तर्गत पूर्व की भाँति हीं की जाएगी एवं सत्यापन के क्रम में असत्य पाये जाने पर निर्गत प्रमाण पत्र को रद्द कर दी जाएगी।

04. ''इस प्रमाण पत्र को उपयोग में लाने से पूर्व **इसकी बैधता की जांच** सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.bih.nic.in पर प्रमाण पत्र का आई.डी. नम्बर डालकर अवश्य कर लिया जाए।''

19621
27-12-13

समूह (क)

आवेदक के पहचान हेतु निम्न में से किसी एक की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है:-

1 बी.पी.एल. सूची
2 राशन कार्ड
3 मतदाता पहचान-पत्र
4 मतदाता सूची
5 जॉब कार्ड (मनरेगा)
6 विकलांगता प्रमाण-पत्र
7 पासपोर्ट
8 ड्राइविंग लाइसेन्स।
9 आयकर पहचान-पत्र (PAN)।
10 राज्य/केन्द्र सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो युक्त सेवा पहचान-पत्र।
11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पासबुक 31.08.2010 तक खोला गया खाता।
12 फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र।
13 सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी फोटोयुक्त अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र।
14 सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र।
15 फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस।
16 फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे- पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख इत्यादि ।
17 फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/ पेंशन अदायगी आदेश/ भूतपूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र /वृद्धावस्था पेंशन आदेश / विधवा पेंशन आदेश।
18 फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड।
19 मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी विद्यार्थी फोटो पहचान पत्र।

19621
27-12-13

समूह (ख)

सेवा विशेष की प्राप्ति हेतु निम्न में से किसी एक की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है:-

जाति प्रमाण-पत्र

(i) खतियान की छाया प्रति ☐

(ii) आवेदक या उनके **परिजन*** के नाम पर पूर्व में निर्गत प्रमाण-पत्र। ☐

आवासीय प्रमाण-पत्र

(i) अद्यतन राजस्व रसीद की छाया प्रति। ☐

(ii) भूमिहीनों को आवंटित भूमि का पर्चा की छाया प्रति। ☐

(iii) राजस्व अभिलेख यथा- खतियान/ दान-पत्र/ भूमि संबंधी कागजात की छाया प्रति। ☐

(iv) अद्यतन विद्युत विपत्र की छाया प्रति ☐

(v) अद्यतन दूरभाष विपत्र की छाया प्रति ☐

(vi) आवेदक या उनके **परिजन*** के नाम पर पूर्व में निर्गत प्रमाण-पत्र ☐

(vii) अद्यतन होल्डिंग टैक्स भुगतान का रसीद ☐

आय प्रमाण-पत्र-

(i) अद्यतन वेतन पर्ची की छाया प्रति। ☐

(ii) अद्यतन आयकर भुगतान के साक्ष्य की छाया प्रति। ☐

(iii) अद्यतन पेंशन पर्ची की छाया प्रति। ☐

(iv) आवेदक या उनके **परिजन*** के नाम पर पूर्व में निर्गत प्रमाण-पत्र ☐

नोट:- यदि आवेदक के पास समूह 'क' एवं 'ख' से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं हो तो वैकल्पिक स्थिति में स्थानीय हल्का कर्मचारी/ पंचायत सेवक द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने पर उक्त तीनों प्रमाण-पत्र 'तत्काल सेवा' के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। ☐

* 'परिजन' से अभिमत है आवेदक के माता, पिता, पति, पत्नी, भाई, अविवाहित बहन, पुत्र एवं अविवाहित पुत्री।

19621
27-12-13

अनु0:-II

'तत्काल सेवा' हेतु आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन का जाँच प्रतिवेदन

प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय का नामः-.......................

अधियाचित सेवा का नामः- ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (आवेदक का नाम)....................... .... पिता/पति श्री .... ग्राम/मोहल्ला.................................. वार्ड/पंचायत... थाना................................अंचल.................................. द्वारा 'तत्काल सेवा' अंतर्गत .... प्रमाण-पत्र प्राप्ति हेतु समर्पित आवेदन-पत्र की जाँच की गई पाया गया कि:-

क) आवेदक पिछड़ा/अति पिछड़ा/अनु. जाति/जनजाति वर्ग के अन्तर्गत ....जाति का सदस्य है।

(ख) आवेदन में वर्णित पते पर आवेदक .... वर्षो से स्थायी/अस्थायी रूप से निवास कर रहा है।

(ग) आवेदक की सभी स्त्रोतों से सकल वार्षिक आय........................ रूपये है।

अतः मेरे द्वारा इन्हें ....प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की जाती है।

हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक
का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम
हल्का/पंचायत का नाम..............................